न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 70/2025

उनवान

1. जमना लाल पुत्र श्री किशोरदास बैरागी नि0 भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज.)
2. नारायण पुत्र श्री श्री किशोरदास बैरागी नि0 भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज.)
3. राधेश्याम पुत्र श्री श्री किशोरदास बैरागी नि0 भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. भोलीराम पुत्र श्री लालदास बैरागी नि0 भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज.)
2. श्रामालाल पुत्र श्री भैरूदास बैरागी नि0 भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज.)
3. प्रहलाद पुत्र श्री राधाकिशन बैरागी नि0 भोपालगढ तह0 एवं जिला भीलवाडा(राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 06.05.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 03.04.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम थला का खेडा प.ह. दुडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 68 की आ.न. 152/3 रकबा 0.3035 है0, आ.न. 153/3 रकबा 0.1391 है0, आ.न. 154 रकबा 0.3035 है0, आ.न. 154/1 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 155 रकबा 0.3035 है0, आ.न. 168/1 रकबा 0.2276 है0, आ.न. 173 रकबा 0.2782 है0, आ.न. 174/2 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 175/1 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.8210 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक **17.04.2025** को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या **01 लगायत 03** बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम थला का खेडा प.ह. दुडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 68 की आ.न. 152/3 रकबा 0.3035 है0, आ.न. 153/3 रकबा 0.1391 है0, आ.न. 154 रकबा 0.3035 है0, आ.न. 154/1 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 155 रकबा 0.3035 है0, आ.न. 168/1 रकबा 0.2276 है0, आ.न. 173 रकबा 0.2782 है0, आ.न. 174/2 रकबा 0.1265 है0, आ.न. 175/1 रकबा 0.1265 है0 कुल किता 09 कुल रकबा 1.8210 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

PDF Scanner ACE Scanner